प्रेस विज्ञप्ति

प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास नि0 लि0, के पत्र संख्या 155/पि0व0नि0/इस्माइल योजना पत्रा0/2021–22,दिनॉक 19 जुलाई, 2021 द्वारा कोविड महामारी से अपने प्रमुख पालनकर्ता को खो देने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारो की सहायता के लिये क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुए हैं। सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अ0शा0 पत्र दिनॉक 07.06.2021 में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। कोविड महामारी से अपने प्रमुख पालनकर्ता को खो देने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारो की सहायता के लिये क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के सम्बन्ध में निम्न अर्हता निर्धारित की गयी है–

1–लाभार्थी पिछड़ी जाति का हो।

2–लाभार्थी के पारिवारिक आय रू0 3.00 लाख वार्षिक हो।

3–लाभार्थी परिवार के प्रमुख पालनकर्ता की मृत्यु कोविड–19 से 30 जून 2021 तक हुई हो।

4–उक्त प्रमुख पालनकर्ता की मृत्यु के समय आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य रही हो।

5–मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु, स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/खण्ड विकास अधिकारी से निर्गत हो।

अतः इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षानुसार कोविड महामारी से अपने प्रमुख पालनकर्ता को खो देने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगो का जो उपर्युक्त अर्हता रखने वाले हो,का पूर्ण विवरण तीन दिवस के भीतर कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर, को उपलब्ध कारने का कष्ट करें।

(विकास)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर

पत्रांक 156/पि0व0क0/छात्रवृत्ति/2020–21 दिनांक 10 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण बस्ती, मण्डल बस्ती।
5. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि समस्त हिन्दी/उर्दू समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद सिद्धार्थनगर की बेवसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
7. नोटिस बोर्ड कार्यालय/कलेक्ट्रेट/विकास भवन आदि पर चस्पा हेतु।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।